in the Central sector, the National Thermal Power Corporation is also getting the same coal. But, today, the National Thermal Power Corporation's plant load factor is 71 per cent, the highest in India. No private sector or public sector has achieved the plant load factor of the National Thermal Power Corporation. But, Sir, if the State Electricity Boards are not in a position to manage their stations properly, if they cannot renovate, if they cannot modernise, and if they cannot manage them properly, how can I take the responsibility?

SHRI SARADA MOHANTY: Sir, I want to know from the Government that if the Government of Orissa agree to place this thermal power station at the disposal of NTPC, will the Government agree for it? Will the NTPC take it over?

SHRI KALP NATH RAI: If the Orissa Government wants, we shall consider this question. But until and unless they recommend this plant to be transferred to NTPC, how can we consider?

MR. CHAIRMAN: Next question.

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की माफी

*184. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण तथा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में आम कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहां कार्यरत सरकारी क्षेत्र व निजी क्षेत्र के बैंकों की प्रत्येक शाखा को 15 से 25 गांवों का क्षेत्र के आवंटित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि आम आदमी को बैंक संबंधी सुविधाएं देने का दायित्व इन्हीं बैंकों की शाखाओं का ही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष 10,000/- रुपये तक के ऋण माफ करने के निर्देश जारी किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को इस प्रकार के निर्देश न जारी किये जाने के क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार निजी क्षेत्र के बैंकों को यह निर्देश कब जारी करने का विचार रखती है?

*सभा में यह प्रश्न श्री रणजीत सिंह द्वारा पूछा गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय पहली अप्रैल, 1989 से लागू ग्रामीण ऋण प्रदान करने की सेवा क्षेत्र योजना से है। इस योजना के तहत, ऋण के सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध संवितरण की दृष्टि से, किसी बैंक की ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखा को 15 से 25 गावों के समूह का आबंटन किया जाता है। गावों के ऐसे आबंटन सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखाओं को किये जाते हैं।

किसी देय राशि को बट्टे खाते डालना या देयराशियों की वापसी अदायगी के समझौते सम्बन्धी मामले जिनमें बैंकों द्वारा किसी राशि का त्याग अन्तर्ग्रस्त है, बैंकों के अपने निर्णय के अनुसार बैंक और उधार-कर्ता द्वारा परस्पर आधार पर निपटाए जाते हैं तथा सरकार बैंकों को इसके लिए क्षतिपूर्ति नहीं देती। बहरहाल, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, दिनांक 2.10.1989 की स्थिति के अनुसार, दिए गए अल्पावधि और सावधि ऋणों की सभी अतिदेय राशियों को कवर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणकर्ताओं की विशिष्ट श्रेणी क्रमशः कृषकों, बुनकरों और कामगारों के लिए कुछ प्रकार की देयराशियों के लिए 10,000/- रुपये तक प्रति ऋणकर्ता को ऋण राहत प्रदान की गई थी। केन्द्रीय योजना की रूपरेखा के आधार पर राज्य सरकारों ने भी सहकारी समितियों के लिए अपनी-अपनी योजनायें तैयार की थीं। सरकार ने निर्णय लिया था कि केन्द्र, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना की लागत को पूर्णरूप से वहन करेगी और सहकारी समितियों के लिए राज्य सरकारों की योजना की लागत के 50% भाग की प्रतिपूर्ति करने के लिए भी सहमत हो गयी। यह योजना 31 मार्च, 1991 को बन्द हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत ऋणकर्ताओं या संस्थाओं की किसी अन्य श्रेणियों को शामिल करने के लिए इस योजना की पुनरीक्षा करने या इसमें कोई संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रणजीत सिंह : चेयरमैन सर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस स्कीम के अन्दर सारे भारतवर्ष में कुछ प्राइवेट बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स और रूरल रिजनल बैंक्स जो थे उनके तहत गांव अलाट किए गए थे। जब अप्रैल, 1990 में एक स्कीम आई कि 10,000 रुपये तक लोन वेव कर दिए जाएं तो जितने गवर्नमेंट बैंक्स, रूरल रिजनल बैंक्स थे, कोआपरेटिव बैंक्स थे उनके नीचे जो गांव आए उनको तो कर दिए गए थे, कुछ प्राइवेट सैक्टर के जो

गांव आए उनके नहीं किए गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा ऐसे कितने फार्मर्ज हैं या कितना पैसा है जो उन फार्मर्ज का, जो प्राइवेट सैक्टर के नीचे आते हैं, उनका लोन मुआफ नहीं किया गया?

श्री दलबीर सिंह : सर, यह जो सर्विस एरिया एप्रोच की योजना थी उसके बारे में 29.2.88 को तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था। उनकी सिफारिश पर डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। उस सर्विस एरिया एप्रोच में लगभग 6 लाख 18 हजार 2 सौ गांवों को 42,158 बैंक शाखाओं में बांटा गया था। एवरेज लगभग 14 गांव आते थे। लोन केवल स्कीम के बारे में मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह इतना बोझ केन्द्रीय शासन के उपर था, लगभग 7714 करोड़ रुपये का केन्द्र शासन के ऊपर भार आया लोन का तो उसमें से हमने जो बारोवर्ज़ हैं जो 3 करोड़ 22 लाख लोग हैं जिनको हमने लोन वेव के तहत कर्ज मुआफ किया जो लगभग इसमें से 315 लाख आते हैं 97.87 परसेंट लोगों को यह फायदा हुआ, यह पब्लिक सैक्टर का हुआ। इसी तरह से कोआपरेटिव सैक्टर का है जो कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें 50 परसेंट अपना शेयर देगी और 50 परसेंट केन्द्रीय शासन उसमें देगा और इस तरह से आर०आर०बी० का है रूरल रिजनल बैंक्स जो हैं, उसके तहत जो गांव आबंटित हुए थे, इस तरह से कुल केन्द्र शासन का भार है 5636.64 करोड़ और बाकी जो है वह स्टेट गवर्नमेंट का है।

श्री रणजीत सिंह : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से, जैसा कि इन्होंने बताया अपने दूसरे सप्लीमेंटरी सवाल में पूछना चाहता हूं कि जो प्राइवेट सैक्टर के जितने बैंक हैं जितने गांव हैं मैं समझता हूं कि यह 35,000 बैंक हैं जो कि प्राइवेट सैक्टर के तहत आते हैं और अगर एक के नीचे लोनीज़ सौ के करीब हैं तो मैं समझता हूं कि 35 लाख फार्मर्ज का या तो गरीब लोग हैं या निचले स्तर के लोग हैं उनका सवाल है, यह 35 लाख आदमी एज़ ए सिटिजन आफ् द कंट्री उन्हें फंडामेंटल राइट में पूरा अधिकार है कि वे इस देश के नागरिक हैं, तो मैं यह नहीं समझ रहा कि एक देश में दो तरह के सिटिज़न्स हैं दो रास्ते क्यों हैं जिन्होंने पब्लिक सैक्टर से ले लिया उन्हें तो लोन मुआफ कर दिया गया, जिन लोगों ने प्राइवेट सैक्टर से लिया उन्हें मुआफ नहीं किया गया, यह तो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत उन्हें पता नहीं था कि किनको प्राइवेट सैक्टर के नीचे किया जा रहा है, किनको पब्लिक सैक्टर के नीचे किया जा रहा है। सर मैं इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के चेयरमैन का भी यह रिकमंडेशन है कि हम ऐसे दो तरह के मापदण्ड नहीं कर सकते। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के नीचे आते हैं, जो लोनीज हैं, उनका भी लोन माफ करना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर की रिकमंडेशन के बाद क्या यह गवर्नमेंट के अंडर कंसीडरेशन है कि जो इस तरह के लोनीज हैं, जो प्राइवेट बैंक्स के नीचे आते हैं, उनका लोन माफ किया जा रहा है?

श्री दलबीर सिंह : सर, 1991 में यह जो योजना है, इसको हमने बंद कर दिया है। हमारे लगभग 27 प्राइवेट बैंक्स हैं, वह भी रिजर्व बैंक्स के गाइडलाइंस के अनुसार कुल लैंडिंग का 40 परसेंट प्रायरिटी सेक्टर को देंगे। उसके साथ-साथ कुल लैंडिंग का 10 परसेंट वीकर सेक्शंस के लिए देंगे, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि न केवल प्राइवेट बैंक्स बल्कि राज्य सरकारों से, भूमि विकास निगम, एस०टी०एस०सी० फायनेंशियल कार्पोरेशन, एग्रो इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव निगम और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड्स ने भी यह प्रस्ताव किया था कि इस तरह से काम हम भी करते हैं और हमारे भी जो कर्जे हैं, उनकी भी माफ कर दिया जाये। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस तरह से यदि हम लोन वेव करते जाएंगे तो हमारे बैंकों की हालत क्या होगी? इससे हमारे बैंकों की वसूली पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इस तरह से हम इसको एनकरेज करते जाएंगे तो जो कर्ज पटाना भी चाहते हैं, वह भी यह सोचते हैं कि कभी-न-कभी सरकार बैंकों का कर्जा माफ कर देगी और वह पैसा नहीं देते हैं। मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारा इसमें शार्ट फाल बहुत ज्यादा हुआ है, जैसे कि जहां जून, 1989 में पब्लिक सेक्टर में 48.6 परसेंट की वसूली हुई थी वहां जून, 1990 में 30 परसेंट की वसूली हुई। तो इसी तरह से आर०आर०बी० का भी है और कोऑपरेटिव सेक्टर का है। तो यह जो ए०आर०डी०आर० की योजना है, यह 1991 से हमने बंद कर दी है और आगे हम इसमें कोई विचार नहीं कर रहे हैं।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, there are two aspects to this question. In our country, there are public sector banks, there are private sector banks, and there are foreign banks. The point is, while they make profits, they also have a social obligation. While Government is regulating the functioning of the public sector banks, the foreign banks and the private sector banks are not made to fulfil their social obligation towards the poorer sections of the country. Is it true or not? Let him first answer this and then I will ask part(b) of my question.

MR. CHAIRMAN: You cannot have two. Only one supplementary.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: As I said, there is a social obligation on the

part of the banks. Another thing is, division of villages into sectors. According to this scheme, people living in some 35,000 villages have been converted into bonded borrowers. They cannot go to any other bank because the Reserve Bank of India has issued a directive that a 'no-objection certificate' will have to be issued by a bank that they can go to any other bank. Therefore, the people living in as many as 35,000 villages are bonded borrowers to the private banks. These private banks have no social obligation. As a result, as Mr. Ranjit Singh pointed out, these people have been deprived of the benefits which are available to other citizens living in those areas which are served by the public sector banks.

MR. CHAIRMAN: Will you put social obligation on the private and foreign banks?

श्री दलबीर सिंह : सर, सम्माननीय सदस्य को मैं पहले ही बतला चुका हूं कि नोट ओनली दैट 27 प्रायवेट बैंक्स, लेकिन इसके साथ-साथ अन्य फायनेंसियल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में बहुत से हैं, वह भी कहते हैं कि इन लोगों को हम कर्ज देते हैं तो उसी तरह से लोन वेव की सुविधा हम को भी दी जाय। तो हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं। इस तरह से तो लोगों की कर्ज पटाने की हैबिट खत्म होती है और बड़ा किसान है, वह भी अपना कर्ज नहीं पटाता। जैसेकि मैंने अभी इयरवाइज आपको बतलाया कि हमारा वसूली का कितना शार्ट फाल हुआ है। वैसे भी हमारे जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स हैं, वह पुअरेस्ट और डाउन ट्रोडन पीपुल के लिए हैं। साथ ही मैंने अभी कहा कि हम जो पूरा लैंडिंग करते हैं, उसका 10 परसेंट केवल इन्हीं लोगों के लिए होता है और ऐसा है कि प्रायवेट बैंक्स जो हैं, दे आर बाउंड टू दिस वर्क। इसमें आर०बी०आय० की गाइड लाइंस हैं उनको पूरी सुविधाएं हैं कि अगर वह अपनी ओर से राइट आफ करते हैं किसानों के कर्जे को तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, are you satisfied that he has answered my question?

MR. CHAIRMAN: I only say that you have asked the question and he has answered it. My satisfaction does not come into the picture.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: He has evaded the whole issue, or he has not understood it. If you allow me, Sir, . . .

MR. CHAIRMAN: If you make it so long, then, the whole thing gets lost. So, I have been requesting all the time.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, I am making it very short.

MR. CHAIRMAN: A specific, pointed question always gets a good answer.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Sir, my question is about (a) discrimination among various kinds of banks, and (b) discrimination among various kinds of citizens. There is no long thing about it. How can the Government discriminate between certain rural people who are being served by the public sector banks and others who are being served by the private sector banks as per your own arrangement? My question is why the Government should divide people in this.

श्री दलबीर सिंह : सर, चूंकि हमारी गाइडलाइन्स हैं, किसी भी बैंक के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। एकार्डिंग टू रूल्स सारे काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। . .

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Chairman, Sir, what the Minister has replied is:

> "However, under the ARDR Scheme, 1990, formulated by the Government of India, debt relief to the extent of Rs. 10,000 per borrower was extended to some class of dues for specified class of borrowers, namely, farmers, weavers and artisans in rural areas to cover all overdues on short term and term loans as on 2.10.1989, advanced by the public sector banks . . . "

The statement also says that the Government decided. . . .

MR. CHAIRMAN: He gave the answer. Put your question. Why are you reading his answer?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I must refer to it. Otherwise, the question will not be understood by him. In any case, I will just ask a question. if he does not understand, then, there will be confusion.

MR. CHAIRMAN: He will understand everything.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: All right. Recently when we visited different parts of the country, we found only 10 per cent or 20 per cent financial

reimbursement by the Ministry. I would like to know how much more will be reimbursed this year or in the coming years because the liquidity of the banks is very disturbed because of this kind of loan which has been waived but not reimbursed.

Also, the potato-growers who have not been allowed the waiver through cold storages, now are asking through the cold storages that all this money should also be refunded through the cold storages. I would like to know from the Minister what the problem is.

श्री दलबीर सिंह : सर, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसका मैं वेलकम करता हूं। इस तरह से जो हमने कहा कि अगर हम कर्ज देते जायें और किसान उसको न पटाए तो बैंक की क्या हालत होगी? सर, यहां तक इसका है, यह राइट-ऑफ नहीं है, यह तो हमारे ऊपर बर्डन है। सरकार ने किसानों के कर्जों को माफ किया है। इसका मतलब है कि जिन रेस्पेक्टिव बैंक्स ने उन किसानों को कर्जा दिया था, उसको हमने रिएम्बर्स किया है। ... (**व्यवधान**)...

श्री सन्तोष बागरोदिया : यह कितने वर्ष में किया है?

श्री दलबीर सिंह : सर, मैं ईयरवाइज बता देता हूं। लास्ट ईयर के बजट वर्ष 1990-91 में हमने 1,500 करोड़ रुपया दे रखा था, इस वर्ष हमने रखा था 1,425 करोड़ और वर्ष 1992-93 में हम कर रहे हैं 1,500 करोड़ का। इस तरह से मैं साफ कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार तो घोषणा करके चली गई, लेकिन हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी वित्तीय स्थिति नाजुक होते हुए भी कहा कि चूंकि किसान का मामला है इसलिए इस कर्ज को हम माफ करेंगे। ऐसी वित्तीय स्थिति में भी हमने किया है।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, the objective of the ARDR Scheme says that the beneficiaries are eligible for refinance. But, since the Government of India did not reimburse the amount, the banks refused to refinance the beneficiaries who were given relief under the ARDR Scheme. So, what steps has the Government taken to refinance those beneficiaries, to implement the assurance under the ARDRS to refinance those beneficiaries that got relief under the ARDRS?

श्री दलबीर सिंह : सर, मैंने पहले ही कहा कि 31 मार्च, 1991 को ऐसी योजनाएं हमने बन्द कर दी हैं और फरदर इस टाइम नहीं चाहते कि इस तरह से कुछ हो।... (**व्यवधान**)...

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, I am not talking of the Scheme. Suppose the beneficiaries are eligible to refinance. Since the Government did not reimburse the money to the concerned banks, the banks are refusing to refinance again to those beneficiaries. So, what are the steps that the Government has taken to refinance those beneficiaries to implement their own agricultural operations?

श्री दलबीर सिंह : ऐसे तो हमारे और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जिनको बैंक रिफाइनेंस करता है, यह तो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वह किसानों को किस तरह से कर्ज दें।

Supply of Electricity to Bihar

*185. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any plan to provide uninterrupated electricity supply to Bihar in the near future;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the manner in which Government propose to achieve the said objective?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table fo the House.

Statement

(a) to (c) The Eighth Five Year Plan is yet to be finalised. However, according to the Report of the Group on Power, it is envisaged to add 683.6 MW capacity in Bihar during the Eighth Plan. In addition the State will also get its due share from the Central Sector Power Stations which are beign set up in the Eastern Region. Various other measures being taken to increase the availability of power in Bihar include maximising generation from existing generating stations, implementation of Renovation and Modernisation